निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या/2247 /बा0वि0परि0/एपीएम(एस)/2016–17 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य पोषण माह के द्वितीय चरण माह दिसम्बर, 2016 के सफल संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2016–17 दिनांक–28.11.2016 जो समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं अन्य अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरती जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: अ0नि0 / यू0आई0पी0 / कैम्प / 2016-17 / दिनांक: 28 नवम्बर, 2016

विषय: वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य पोषण माह के द्वितीय चरण माह दिसम्बर, 2016 के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के सहयोग से संचालित बाल स्वास्थ्य पोषण माह – विटामिन ए सम्पूरण कार्यक्रम टीकाकरण का एक अभिन्न अंग है जो प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शनिवार को नियमित टीकाकरण / वी0एच0एन0डी0 सत्रों में प्रतिवर्ष माह जून एवं दिसम्बर में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2016-17 में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के प्रथम चरण अर्थात जून- जुलाई, 2016 में प्रदेश में विटामिन ए का कुल कवरेज 55 प्रतिशत रहा है।

आप अवगत हैं कि "बाल स्वास्थ्य पोषण माह" का उद्देश्य 09 माह से 05 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों में निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करना है –

1. रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि।
2. 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु दर में कमी लाना।
3. रतौंधी से बचाव।
4. कुपोषण से बचाव एवं उपचार।
5. नियमित टीकाकरण के दौरान लक्षित बच्चों के साथ आंशिक प्रतिरक्षित (ड्राप आउट) बच्चों का प्रतिरक्षण।
6. आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से बच्चों में शारीरिक एवं विकृतियों में कमी।

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माह दिसम्बर 2016 में "बाल स्वास्थ्य पोषण माह" मनाया जाना है। उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी.एस. विभाग के सहयोग से निम्न सेवायें प्रदान की जाती हैं।

1. 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित कराना।
2. नियमित टीकाकरण के दौरान के लक्षित बच्चों का टीकाकरण एवं खसरे के प्रथम टीके 9 से 12 माह एवं द्वितीय टीके 16 से 24 माह के साथ विटमिन ए की प्रथम एवं द्वितीय खुराक का आच्छादन किया जाये।
3. बच्चों का वजन एवं चिन्हित अति कुपोषित बच्चों का सन्दर्भन।
4. छः माह तक स्तनपान एवं छः माह के बाद पूरक आहार को बढ़ावा देना।
5. आयोडिन युक्त नमक के प्रयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना।

विटामिन 'ए' सम्पूरण :– विटामिन ए वसा में एक घुलनशील विटामिन है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा यह सूक्ष्मपोषक तत्व कुपोषण से भी बचाता है। प्रदेश में 60 प्रतिशत बच्चों में विटामिन ए की कमी होने का खतरा होता है, जो कि बच्चों में बीमारी एवं मृत्युदर की संभावनाओं को बढ़ाता है। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को एक वर्ष में 2 बार विटामिन 'ए' की निर्धारित खुराक दिये जाने से उनके जीवित रहने की संभावना निम्न कारणों से बढ़ जाती है–

• सभी कारणों से होने वाली मृत्यु में 23 प्रतिशत कमी
• खसरे के कारण होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत कमी
• अतिसार रोग के कारण होने वाली मृत्यु में 33 प्रतिशत कमी

विटामिन 'ए' की उपलब्धता–कार्यक्रम की तैयारी के लिये आवश्यक होगा कि समस्त स्वास्थ्य इकाईयो पर उपलब्ध विटामिन 'ए' स्टॉक की जानकारी कर ले तथा लक्ष्य के सापेक्ष विटामिन 'ए' सीरप की आवश्यक मात्रा मे कय कर समय से उपलब्धता सुनिश्चित करे। विटामिन 'ए' की आर0सी0 दिनाक 25 सितम्बर, 2016 को जारी की गयी थी, अत प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे विटामिन 'ए' का कय एव शत–प्रतिशत आपूर्ति अभियान आरम्भ होने से पूर्व सुनिश्चित करे।अत निर्देशित किया जाता है कि आप ब्लाकवार आवश्यकतानुसार विटामिन 'ए' वितरण की कार्ययोजना तैयार कराये, उसी के अनुसार उपकेन्द्र स्तर तक वितरण सुनिश्चित किया जाए, अवशेष आपूर्ति को जनपदो द्वारा भडारित किया जाये, जिससे Wastage को रोका जा सके।

चूकि विटामिन 'ए' सम्पूरण, विटामिन 'ए' की कमी से रोगो के बचाव एव उपचार मे मदद करता है अत: इसकी खुराक 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को निम्नवत दी जाय–

लक्षित समूह	विटामिन 'ए' मात्रा	कब दे	विटामिन 'ए' की खुराक(विटामिन ए की चम्मच)
9 से 12 माह	1 लाख यूनिट (अन्तर्राष्ट्रीय इकाई)	विटामिन ए खुराक खसरा के टीके के साथ	आधा चम्मच (1ml)
1 से 5 वर्ष	2 लाख यूनिट (अन्तर्राष्ट्रीय इकाई)	बल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान	पूरा चम्मच (2ml)

माह दिसम्बर, 2016 मे बाल स्वास्थ्य पोषण माह का आयोजन:–

वर्ष 2016–17 मे बाल स्वास्थ्य पोषण माह के द्वितीय चरण मे प्रदेश के 9 माह से 5 वर्ष तक के लगभग 2.48 करोड़ बच्चो का आच्छादन किया जाना है, इस क्रम मे वर्ष 2016–17 का द्वितीयचरण दिसम्बर माह 2016 मे आयोजित किया जाना है। समस्त जनपदो द्वारा बाल स्वास्थ्य पोषण माह का आयोजन **दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 से 18 जनवरी, 17** तक किया जायेगा। इस दौरान निम्न गतिविधियाँ कियान्वित की जायेगी–

1. **विटामिन ए की खुराक से आच्छादन हेतु लक्ष्य का निर्धारण**– निदेशालय द्वारा वर्ष 2016–17 का बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान विटामिन 'ए' की खुराक पिलाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो इस दिशा– निर्देशिका के साथ सलग्न है।
   निर्देशित किया जाता है कि समस्त जनपद राज्य के लक्ष्य के अनुसार ही जनपद एव ब्लाक स्तर पर लक्ष्य का निर्धारण करना सुनिश्चित करे।

2. **बाल स्वास्थ्य पोषण माह के सुचारु रुप से कियान्वयन हेतु नियोजन बैठकें**:–
   अ–राज्य स्तरीय नियोजन एवं समीक्षा बैठक:– स्वास्थ्य विभाग एव आई0सी0डी0एस0 विभाग की जनपद स्तरीय सयुक्त नियोजन बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता मे की जायेगी। उक्त बैठक मे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (डी0आई0ओ0), जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0), ए0सी0एम0ओ0 (आर0सी0एच0 / एन0एच0एम0), डी0पी0एम0 / डी0सी0पी0एम0 समस्त ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के साथ माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनीशियेटिव, यूनीसेफ के मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा टी0एस0यू0 के प्रतिनिधि भी भाग लेगे। बैठक निम्न बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की जायेगी–
   - बाल स्वास्थ्य पोषण माह जून,2016 मे विटामिन 'ए' के आच्छादन की ब्लाकवार समीक्षा की जाए।
   - पूर्व सचालित अभियान मे आयी कमियो को दूर करते हुए आगामी बाल स्वास्थ्य पोषण माह के सफल कियान्वयन की कार्ययोजना तैयार की जाए।
   - नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की कार्ययोजना को आई.सी.डी.एस. विभाग के अधिकारियो को उपलब्ध करायी जाये तथा साथ ही शहरी क्षेत्र मे मलिन बस्ती तथा दूरस्थ क्षेत्रो के बच्चो को आच्छादित करने हेतु अतिरिक्त सत्रो के आयोजन हेतु रणनीति व माइक्रोप्लान तैयार किये जाए।
   - आशा एव आगनवाडी के सहयोग से तैयार की गयी लाभार्थियो की सूची से प्रतिभागियो को अवगत कराया जाए।

- जिन जनपदो मे यू0नी0सेफ के डी0एम0सी0 बी0एम0सी0 सी0एम0सी0 कार्यरत है उनका भी पूर्ण सहयोग लिया जाय।
- बैठक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यक्रम मे सचालित की जाने वाली गतिविधिया जैसे 9 माह से 5 वर्ष के बच्चो का शत प्रतिशत विटामिन ए से आच्छादन एव टीकाकरण, छुटे हुए बच्चो का टीकाकरण, जन्म के तुरन्त बाद मा का दूध छ माह तक सिर्फ स्तनपान, आयोडिन युक्त नमक का प्रयोग करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना, बच्चों की वृद्वि एव विकास का अनुश्रवण, कुपोषित बच्चो की समय पर पहचान तथा इलाज हेतु समय पर सदर्भन डायरिया मे ओ0आर0एस0 तथा जिक टेबलेट का प्रयोग इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की जाए।

ब ब्लाक स्तरीय संयुक्त नियोजन बैठक– बाल स्वास्थ्य पोषण माह के आयोजन से पूर्व ब्लाक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 की अध्यक्षता मे सयुक्त नियोजन बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक मे मुख्य सेविकाऐ, आई0सी0डी0एस0 सुपरवाइजर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एव स्वास्थ्य कार्यकर्ता ए0एन0एम0 का अभिमुखीकरण कर ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जायेगी। आई0सी0डी0एस0 द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चो की ड्यूलिस्ट भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस बैठक मे उपरोक्तानुसार जिलास्तरीय बैठक मे वर्णित सभी बिन्दुओ को विस्तार से बताया जाय तथा कार्यक्रम की गतिविधियो तथा लक्ष्यो से अवगत कराया जाय।

बैठक की समाप्ति के उपरान्त समस्त अधीक्षको / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बैठक का कार्यवृत्त निम्न प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर जनपदो को उपलब्ध कराया जाए–

जनपद का नाम–

क0 स0	ब्लाक का नाम	ब्लाक स्तरीय नियोजन बैठक की तिथि	कुल प्रतिभागियो की संख्या		माइकोप्लान की उपलब्धता (हा / नही)
			स्वास्थ्य	आई0सी0डी0एस0	
1					
2					

दिनाक

हस्ताक्षर–
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी–

3 **माइकोप्लान**–राज्य द्वारा जारी किये गये जनपदवार विटामिन ए के लक्ष्य के अनुसार बाल स्वास्थ्य पोषण माह का पृथक (Separate) माइकोप्लान नियमित टीकाकरण को ध्यान मे रखते हुये 05 दिसम्बर, 2016 तक तैयार किया जाये। माइकोप्लान मे शहरी स्वास्थ्य ईकाईयो को सम्मिलित किया जाए। माइकोप्लान की एक प्रति राज्य स्तरीय बाल स्वास्थ्य पोषण माह की नियोजन बैठक मे लाना सुनिश्चित करें। माइकोप्लान मे विटामिन ए की कुल आवश्यकताओ का आकलन सत्रवार आगनबाडी एव आई सी डी एस सुपरवाइजर तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को सम्मिलित किया जाए। माइकोप्लान के अनुसार ही 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त पात्र बच्चो को विटामिन ए की खुराक दी जाए।

4 **ड्यू लिस्ट बनाना**– समस्त आगनबाडी कार्यकर्ता एव आशा के सहयोग से 9 माह से 5 वर्ष के बच्चो की लाभार्थी सूची तैयार की जाये तथा उसे ए0एन0एम0 को अवगत कराया जाए। वर्तमान मे आगनबाडी केन्द्रो पर उपलब्ध कराये गये विटामिन ए रजिस्टर (सख्या 7) का उपयोग भी ड्यू लिस्ट बनाने मे किया जा सकता है।

5 **बाल स्वास्थ्य पोशण माह कार्यक्रम का उद्घाटन**– कार्यक्रम का उद्घाटन समस्त जनपदो मे जिलाधिकारी अथवा अन्य गणमान्य जन प्रतिनिधि द्वारा कराया जाए। उक्त समारोह का कवरेज स्थानीय समाचार पत्रो के माध्यम से भी कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगो को जानकारी हो सके।

6. प्लान के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकत्रियों द्वारा सत्र संचालन–

क. नियमित टीकाकरण के साथ ड्रॉपआउट बच्चो को चिन्हित कर आशा एव आगनवाडी द्वारा सत्र स्थल पर बुलाया जाना एव प्रतिरक्षित करना।

ख. खसरे के प्रथम व द्वितीय टीका के साथ विटामिन ए दिया जाना तथ 6 माह के अन्तराल पर दी जाने वाली विटामिन ए की खुराक से अच्छादित किया जाना।

ग. बच्चों का वजन एव अति कुपोषित बच्चो का सन्दर्भन–

बच्चो का वजन किया जाए तथ ए0एन0एम0 के सहयोग से चिन्हित अतिकुपोषित बच्चो के उपचार हेतु सन्दर्भित किया जाए। बच्चो के वजन सबधी कार्य मे आई0सी0डी0एस0 का पूर्ण सहयोग लिया जाये तथा डियू लिस्ट के साथ ही बच्चो का वजन एव ग्रेड (पोषण स्तर) भी ले लिया जाए ताकि विटामिन ए सम्पूरण के समय वजन की सूचना भी ठीक प्रपत्र मे भरी जाए।

घ. प्रचार–प्रसार एवं परामर्श

जन्म के तुरन्त बाद मा का दूध छ माह तक सिर्फ स्तनपान, आयोडिन युक्त नमक का प्रयोग करने हेतु समुदाय को जागरूक करना, बच्चो की वृद्धि एव विकास का अनुश्रवण एव डायरिया मे ओ0आर0एस0 तथा जिंक टेबलेट का प्रयोग इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की जाए

7. परिणाम प्रस्तारण बैठक (Result Dissemination Meeting)– अभियान समाप्ति के उपरान्त समस्त जनपदो द्वारा 30 दिन के अन्दर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जावे जिसमे निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की जाये

- कम आच्छादन वाले ब्लाक के कारणो पर चर्चा करते हुए आगामी अभियान मे आच्छादन बढ़ाने हेतु रणनीति तैयार की जाये।
- ब्लाक मे अवेशष विटामिन ए की मात्रा का आकलन किया जाये जिसकी सूचना निदेशालय परिवार कल्याण एव एस.पी.एम.यू. एन.एच.एम. को प्रेषित किया जाए।

बाल स्वास्थ्य पोशण माह के प्रपत्रो की प्रिन्टिग – सत्र के दौरान ए.एन.एम. द्वारा उपयोग किये जाने वाली टैलीशीट, उपकेन्द्रवार रिपोर्टिग प्रपत्र एव मानीटरिग प्रपत्र की प्रिटिग निम्न गणना के अनुसार करे।

प्रिन्टिग हेतु प्रपत्रों की गणना

ए.एन.एम. टैलीशीट	प्रति सत्र – 6
उपकेन्द्र स्तरीय ए.एन.एम. रिपोर्टिग प्रपत्र	प्रति उपकेन्द्र – 2
मानीटरिग प्रपत्र	20 प्रपत्र प्रति ब्लाक (10 प्रपत्र स्वास्थ्य एव 10 आई. सी.डी.एस.)

प्रिन्टीग हेतु बजट के दिशा निर्देश प्रथक से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रेषित किय जायेगे।

8. रिपोर्टिग :– बाल स्वास्थ्य पोषण माह की रिपोर्टिग निम्नानुसार सलग्न प्रपत्रो पर की जाए –

- **सत्र स्तरीय प्रपत्र (टैलीशीट)**– ए0एन0एम0 द्वारा प्रत्येक टीकाकरण सत्र पर बाल स्वास्थ्य पोषण माह से सम्बन्धित (टैलीशीट) पर ही बच्चो का नाम विटामिन ए की दी गई खुराको का विवरण एव अन्य सूचनाओं को अकित किया जाये।
- **उपकेन्द्र रिपोर्टिग प्रपत्र 3**– अभियान के अन्त मे ए0एन0एम0 टैलीशीट के आधार पर सभी सत्रों की सकलित रिर्पोट एक सप्ताह के अन्दर ब्लाक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। प्रपत्र के साथ समस्त टैलीशीट की प्रतिया भी सलग्न की जायेगी।
- **ब्लाक रिपोटिग प्रपत्र 2**–अभियान के 15 दिन के अन्दर समस्त सहायक शोध अधिकारी उपकेन्द्र स्तरीय रिर्पोट को सकलित कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मे उपलब्ध कराये।
- **जनपद स्तरीय रिपोर्ट प्रपत्र 1**– समस्त ब्लाक स्तरीय रिर्पोट का सकलन प्रपत्र 1 पर करे एव 31 जनवरी 2017 तक अपर निदेशक– यू0आई0पी0 परिवार कल्याण निदेशालय को उपलब्ध कराये। बाल

- स्वास्थ्य पोषण माह की रिपोर्टिंग आदि का दायित्व सहायक शोध अधिकारी पर है, अतः इस दिशा निर्देश की एक प्रति समस्त सहायक शोध अधिकारी को अवश्य दी जाए।जनपद स्तरीय रिपोर्ट को इन

  Mail IDs - sepioup@gmail.com, gmriup2016@gmail.com, प्रतिलिपि micronutrient@unicefup.org पर भी प्रेषित करें।
- प्रचार प्रसार से सम्बन्धित प्रोटोटाइप (बैनर एवं पोस्टर) हेतु बजट के सम्बन्ध में पृथक से दिशा-निर्देश प्रेषित किये जायेंगे

9. **वित्त पोषणः**— अभियान एवं विटामिन ए के क्रय हेतु धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त की जाती है। माह दिसम्बर के लिए अवमुक्त धनराशि का उपयोग केवल माह दिसम्बर के लिए किया जाये। पूर्व के अभियान की धनराशि अवशेष अथवा अनुपयोगित धनराशि को इस अभियान में उपयोग न किया जाये। वित्तीय दिशा-निर्देश एन0एच0एम0 स्तर से पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

10. **मॉनिटरिंग** :—बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान संलग्न मॉनिटरिंग प्रपत्र पर कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाना है। प्रति टीकाकरण दिवस पर कम से कम दो सत्रों का अनुश्रवण जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डी0पी0एम0/डी0सी0पी0एम0, चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, एम0ओ0सी0एच0, एच0ई0ओ0, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सी0डी0पी0ओ0 एवं मुख्य सेविका करें। भरे हुऐ मूल्यांकनप्रपत्रों को प्रत्येक सप्ताह जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अनुभाग , परिवार कल्याण निदेशालय, जगत नरायण रोड, लखनऊ के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनीशियेटिव के प्रतिनिधियों का विश्लेषण हेतु उपलब्ध कराया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यवेक्षण का कार्य यूनीसेफ , माइक्रोन्यूट्रीएन्स, इनीसिवेटिव (एम0आई0) तथा राज्य स्तर एवं मण्डलीय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(पी0एल0 गुप्ता)
महानिदेशक।

पत्रांकः अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2016-17/ 7402-102 दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, उ0प्र0 शासन, प्रथम तल, बापू भवन लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम., एस.पी.एम.यू., विशाल काम्पलेक्स, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4. निदेशक, आई.सी.डी.एस., तृतीय तल इन्दिरा भवन लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को उक्त कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें
5. अधिशाषी निदेशक, टी0एस0यू0 रतन स्कायर विधान सभा मार्ग, लखनऊ।।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी0पी0एम0), एन0एच0एम0 स्वास्थ्य विभाग,उ0प्र0।
8. महाप्रबन्धक (आर0 आई0), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस.पी0एम0यू, विशाल काम्पलेक्स, विधान सभा मार्ग लखनऊ, को इस आशय से कि वित्तीय संबंधी दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें।
9. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव, 2/60 विजय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
10. न्यूट्रीशन आफीसर, यूनिसेफ,B-3/258 विशाल खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।
11. आर0आई0ओ0, एन0पी0एस0पी0, डब्लू0एच0ओ0 लखनऊ।

2054/PS88/16
V.S. Dir ICDS

(ए0पी0 चतुर्वेदी)
राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी।

30.11.16